झारखंड उच्च न्यायालय रांची

सिविल रिट याचिका सं. **34/2022**

दिलिप कुमार भट्टाचार्य

याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखण्ड राज्य
2. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखंड सरकार, रांची।
3.उप आयुक्त, पूर्व सिंहभूम, जमशेदपुर।
4.जिला खजाना अधिकारी, पूर्व सिंहभूम, जमशेदपुर।

विरोधी पक्ष

विरोधी पक्ष

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति डॉ. जस्टिस एस.एन.पाठक

याचिकाकर्ता के लिए: श्री रवि कुमार सिंह, अधिवक्ता
विरोधी पक्ष के लिए: श्री रंजन कुमार, वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता प्रथम के सहायक अधिवक्ता

11/07.12.2023 : दोनों पक्षों को सुना

2. याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना के साथ संपर्क किया है कि आदेश को रद्द किया जाए जो मेमो संख्या 841 दिनांक 03.10.2018 (अनुक्रमणिका 6) में निहित है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को 31.01.2011 से 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किया गया है, जबकि उसे 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होना चाहिए था। आगे यह प्रार्थना की गई है कि उत्तरदाताओं को निर्देश दिया जाए कि वे दो वर्षों की अतिरिक्त सेवा के लिए सभी अनुषंगी लाभ प्रदान करें।

याचिकाकर्ता का मामला संकीर्ण दायरे में है। याचिकाकर्ता को प्रारंभ में बिहार फिनिश्ड लेदर लिमिटेड, बिहार सरकार के अधीनस्थ, सहायक लेखाकार के पद पर नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता ने अपने उच्च अधिकारियों की पूर्ण संतोषजनकता के साथ कार्य किया और उनके खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। याचिकाकर्ता का कहना है कि बिहार राज्य के पूर्व वित्त विभाग में स्टाफ की कमी के कारण यह निर्णय लिया गया कि विभिन्न बोर्डों/संस्थाओं के नियमित स्टाफ को बिहार राज्य के विभिन्न खजाना कार्यालयों में भेजा जाए। चूंकि याचिकाकर्ता

सभी मानदंडों को पूरा कर रहा था, उसे खजाना कार्यालय, रांची में भेजा गया और उसने 17.09.1996 को कार्यभार ग्रहण किया, जहाँ उसने वर्ष 2001 तक कार्य किया। इसके बाद, मेमो संख्या 1945 दिनांक 22.06.2001 द्वारा, उसे खजाना अधिकारी, जमशेदपुर में स्थानांतरित किया गया और उसने 06.08.2001 को पत्र संख्या 1797 द्वारा स्वीकार किए गए कार्यभार ग्रहण किया।

3. याचिकाकर्ता का आगे कहना है कि मेमो संख्या 51 दिनांक 08.01.2010 में यह निर्णय लिया गया कि जो लोग विभिन्न बोर्डों/संस्थाओं से खजाना कार्यालयों में लाए गए हैं, उन्हें 60 वर्ष की आयु के बजाय 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किया जाएगा। उपरोक्त पत्र के अनुसार, याचिकाकर्ता को 31.01.2011 से 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया गया।

अन्य विकल्प न होने पर, याचिकाकर्ता ने अन्य समान रूप से स्थित व्यक्तियों के साथ मिलकर इस न्यायालय में रिट याचिका (एस) संख्या 833/2010 में प्रस्तुत किया, जिसमें उपरोक्त पत्र दिनांक 08.01.2010 को चुनौती दी गई और राज्य सरकार में याचिकाकर्ताओं की सेवाओं के अवशोषण की प्रार्थना की गई। हालाँकि, उक्त रिट याचिका की लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता को दिनांक 13.01.2010 का सेवानिवृत्ति नोटिस जारी किया गया। इसलिए, उन्होंने रिट याचिका (एस) संख्या 410/2011 में एक और मामला दायर किया जिसमें विशेष रूप से अपनी सेवानिवृत्ति को रोकने की प्रार्थना की गई। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि रिट याचिका (एस) संख्या 833/2010 में पक्षों को सुनने के बाद, माननीय उच्च न्यायालय ने उपरोक्त मामले को अनुमति देने का आदेश दिया दिनांक 08.11.2017 को।

4. 08.11.2017 के आदेश और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्य आदेशों के अनुसार, झारखंड सरकार का योजना-समन्वय विभाग ने दिनांक 31.08.2018 को इस न्यायालय के सभी निर्देशों का पालन किया। उपरोक्त निर्णय के अनुसार, उप आयुक्त-सम् जिला दंडाधिकारी, पूर्व सिंहभूम, जमशेदपुर ने अपने आदेश दिनांक 03.10.2018 द्वारा याचिकाकर्ता की सेवाओं को उसके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अर्थात् 17.09.1996 से अवशोषित कर लिया। याचिकाकर्ता का नाम उक्त आदेश में क्रमांक 5 पर है। चूंकि याचिकाकर्ता की सेवाएँ राज्य सरकार में अवशोषित हो गई हैं, इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका (एस) संख्या 410/2011 खारिज कर दी गई और इसे वापस लिया गया दिनांक 09.12.2020 को।

हालाँकि याचिकाकर्ता की सेवाएँ राज्य सरकार में अवशोषित हो गईं, लेकिन इसके बावजूद उसे 58 वर्ष की आयु अर्थात् 31.01.2011 से सेवानिवृत्त कर दिया गया जबकि उसे 60 वर्ष की आयु अर्थात् 31.01.2013 से सेवानिवृत्त होना चाहिए था। इसलिए, याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर हो गया है।

सेवानिवृत्ति के पूर्व-निर्धारित आदेश से असंतुष्ट होकर, याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर हो गया है।

5. श्री रवि कुमार सिंह, याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता, जोरदार तरीके से तर्क करते हैं कि **विरोधी पक्ष** द्वारा याचिकाकर्ता को 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त करने की कार्रवाई मनमानी, अवैध और अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि हालांकि याचिकाकर्ता को राज्य सरकार की सेवाओं में अवशोषित किया गया है, फिर भी इसके बावजूद, उसे 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किया गया, जबकि उसे 60 वर्ष की आयु में सरकारी कर्मचारी मानते हुए सेवानिवृत्त होना चाहिए था। अधिवक्ता आगे तर्क करते हैं कि चूंकि याचिकाकर्ता को 31.01.2011 से 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किया गया है, इसलिए वह 01.02.2011 से 31.01.2013 तक की अवधि के लिए सभी सेवा लाभों का हकदार है।

6. दूसरी ओर, श्री रंजन कुमार, **विरोधी पक्ष** राज्य के लिए उपस्थित अधिवक्ता, विवादित आदेश का औचित्य बताते हुए प्रस्तुत करते हैं कि आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ता बिहार फिनिश्ड लेदर लिमिटेड का कर्मचारी था, जो याचिकाकर्ता का मूल विभाग था और याचिकाकर्ता की तरह, विभिन्न बोर्डों/कॉर्पोरेशनों के अन्य कर्मचारी जो आवश्यक योग्यता और अनुभव रखते थे, उन्हें उस समय के बिहार राज्य के विभिन्न खजाना कार्यालयों में भेजा गया और नियुक्त किया गया। अधिवक्ता आगे तर्क करते हैं कि झारखंड सरकार के वित्त विभाग ने अपने पत्र दिनांक 08.01.2010 में स्पष्ट किया कि वेतन और भत्ते के संबंध में सभी सामान्य आदेश/सूचनाएँ/पत्र केवल उन कर्मचारियों पर लागू होती हैं जो सरकारी सेवाओं में नियुक्त किए गए हैं और ये उन बोर्डों/कॉर्पोरेशनों के कर्मचारियों पर लागू नहीं होते जो विभिन्न खजाना कार्यालयों में भेजे गए थे। अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि उपरोक्त सूचना के अनुसार, याचिकाकर्ता इस रिट याचिका में मांगे गए राहतों का हकदार नहीं है।

7. बार में दोनों **पक्षों** द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिकूल तर्कों को सुनने के बाद, इस न्यायालय का विचार है कि याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने की आवश्यकता है। याचिकाकर्ता ने **पहले रिट याचिका** (एस) **संख्या** 833/2010 में अन्य समान रूप से स्थित व्यक्तियों के साथ इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। यह याचिकाकर्ता का विशेष मामला है जैसा कि रिकॉर्ड पर लाए गए दस्तावेजों और रिट याचिका में किए गए अवलोकनों से स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता का मामला अन्य समान रूप से स्थित व्यक्तियों के **साथ रिट याचिका** (एस) **संख्या** 833/2010 में विचार किया गया है और उनकी सेवाओं को राज्य सरकार द्वारा अवशोषित किया गया है। इसके बाद, हालांकि याचिकाकर्ता के समान स्थित व्यक्तियों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी गई थी, लेकिन याचिकाकर्ता को 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त कर दिया गया।

8. उत्तरदाताओं का यह कहना है कि वेतन और अन्य भत्तों के भुगतान के संबंध में पत्र दिनांक 08.01.2010 के अनुसार केवल उन कर्मचारियों पर विचार किया जाना था जो सरकारी सेवाओं में नियुक्त थे और किसी भी बोर्ड/कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों पर विचार नहीं किया जाना था जो विभिन्न खजाना कार्यालयों में भेजे गए थे।

उत्तरदाता राज्य के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत यह तर्क इस न्यायालय द्वारा स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एक बार जब सेवाएँ राज्य सरकार द्वारा अवशोषित कर ली गईं, तो किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता मूल रूप से बोर्ड/कॉर्पोरेशन से संबंधित था।

9. आदेश दिनांक 03.10.2018 (रिट याचिका के अनुक्रमणिका-6) की समीक्षा करने पर यह स्पष्ट होता है कि वे लोग जो भी बोर्डों/कॉर्पोरेशनों से संबंधित हैं और जिनकी सेवाएँ राज्य सरकार द्वारा अवशोषित की गई थीं, उन्हें 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी गई थी जबकि याचिकाकर्ता को 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त कर दिया गया।

10. उदाहरण के लिए, चंदेश्वर भगत नामक व्यक्ति जो बिहार राज्य खाद्य निगम से संबंधित हैं और जिनकी सेवाएँ भी राज्य सरकार द्वारा अवशोषित की गई थीं, उन्हें 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त कर दिया गया। समान लाभ अन्य लोगों को भी दिए जाने चाहिए थे और समानता एवं समानता के आधार पर, याचिकाकर्ता को भी वही लाभ मिलना चाहिए जो चंदेश्वर भगत को दिया गया।

11. चूंकि याचिकाकर्ता पहले ही 31.01.2011 को सेवानिवृत्त हो चुका है, इसलिए वह 31.01.2013 तक सभी सेवा लाभों का हकदार है क्योंकि उसे 31.01.2013 को 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होना चाहिए था।

12. उपरोक्त अवलोकनों और कानूनी सिद्धांतों के अनुक्रम में, विवादित आदेश दिनांक 03.10.2018 (रिट याचिका के अनुक्रमणिका-6) जो वर्तमान याचिकाकर्ता से संबंधित है, **इसे एतद द्वारा रद्द और समाप्त किया जाता है। उत्तरदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे** 01.02.2011 से 31.01.2013 तक की अवधि के लिए याचिकाकर्ता को सभी सेवा लाभ प्रदान करें, जो इस आदेश की एक प्रति प्राप्त करने/प्रस्तुत करने की तिथि से आठ सप्ताह के भीतर हों।

13. परिणामस्वरूप, रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

(न्यायमूर्ति डॉ. जस्टिस एस.एन.पाठक)

यह अनुवाद संजय नारायण, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|